कार्यालय नगरपालिकनिगम, रायपुर (छ.ग.)

फोन.नं.:—2535780—90, फैक्स:—0771—2227395

Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

क्र.—120113/बा.वि./न.पा.नि./2022 रायपुर, दिनांक 15/07/2022

//डूमरतराई स्थितभूमि के विक्रय हेतु सार्वजनिक घोष विक्रय/नीलामी आमंत्रण सूचना//

नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा ग्राम डुमरतराई तहसील व जिला रायपुर में स्थित स्वयं के आधिपत्य के 3 भूखण्डो के विक्रय हेतु सार्वजनिक घोष विक्रय/नीलामी आमंत्रित की जातीहै। सार्वजनिक घोषविक्रय/नीलामी की तिथि 18.08.2022 निर्धारित है। सार्वजनिक घोष विक्रय/नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म कालम कमांक—5 में प्रदर्शित धरोहर राशि का डिमांडड्राफ्ट/बैंकरचेक/एफडीआर. जो शेड्यूल्ड (अनुसूचित) बैंक से आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से दिनांक 17.08.2022 अपरान्ह 3.00 बजे तक जमा कर सार्वजनिक घोष विक्रय/नीलामी में भाग ले सकता है। निर्धारित तिथि तक धरोहर राशि प्रस्तुत करने पर ही निविदा में भाग लेने का अधिकार होगा। सार्वजनिक घोष विक्रय/नीलामी दिनांक **18.08.2022** को दोपहर **12:00 बजे** नगर निगम मुख्यालय रायपुर के तृतीय तल पर स्थितसभा कक्ष क्र. 405 में आयोजित की जावेगी। भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	आफसेट दर (राशि रू. में)	आफसेट दर का 10 प्रतिशत धरोहर/निक्षेप(राशि रू. में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम डुमरतराई खसरा क. —424 का रिक्तभाग	12490	302730400	30300000
2	ग्राम डुमरतराई खसरा क. —308/8, 9, 10	10730	263306400	26400000
3	ग्रामडुमरतराई खसरा क. —311/4, 5, 6, 9, 23	13970	151147080	15200000

1. प्रत्येक भूमि के लिए पृथक आवेदन सह धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/एफडीआर) जमा किया जाना आवश्यक होगा। जिस नाम से धरोहर राशि, जमा किया जावेगाउसी नाम से ही सार्वजनिक घोष विक्रय/नीलामी में भाग लिया जासकेगा।
2. निविदा की समस्त शर्ते एवं नियम कार्यालयीन अवधि में राजस्व/बाजार विभाग मुख्य कार्यालय एवं संबंधित जोन कार्यालय एवं नगर पालिक निगमरायपुर की वेबसाईट*www.nagarnigamraipur.nic.in* से देखी जा सकतीहै।
3. प्री—बिड मीटिंग दिनांक 01.08.2022 को आयोजित की जानी है। ईच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा अपने परिप्रश्न (Query)/सुझाव उक्त दिनांक सायं 05.00 बजे के पूर्व निगम की ईमेलआईडी/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निगम को प्रेषित किया जाये। समयावधि के पश्चात प्राप्त पत्रों पर कोई कार्यवाही नही किया जासकेगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

c:\users\hp\downloads\dumartarai ghosh vikray pdf.docx

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
फोन नं.:– 2535780–90, फैक्स:– 0771–2227395
Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

//ग्राम डुमरतराई स्थित 3 भूखंडों के विकय हेतु सार्वजनिक घोष विक्रय /नीलामी ऑफर हेतु सामान्य नियम/शर्ते //

1. सार्वजनिक घोष विक्रय/नीलामी के संबंध में समस्त कार्यवाही छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 80 एवं अधिनियम के अधीन अचल संपत्ति का अंतरण नियम 1994 में निहित प्रावधानों के अध्याधीन होगी।
2. नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा डुमरतराई की 03 भूखंड विकय हेतु सार्वजनिक घोष विक्रय/नीलामी आमंत्रित की जाती है। सार्वजनिक घोष विक्रय/नीलामी हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 17.08.2022 निर्धारित है। सार्वजनिक घोष विक्रय/नीलामी का आयोजन दिनांक 18.08.2022 को किया जावेगा।
3. उच्चतम बोली पर भूमि आबंटन अधिनियम की धारा 80 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होंगे।
4. उपरोक्त शर्त (3) में उल्लेखित प्राधिकारी कोई उच्चतम बोली स्वीकृत करने के लिये बाध्य नही होंगे।
5. भूमि का ऑफसेट दर प्रचलित कलेक्टर गाईडलाईन दर के 100 प्रतिशत के अनुरूप निर्धारित किया गया है।
6. प्रतिभूति निक्षेप की राशि भूमि के कलेक्टर गाईडलाईन दर की 10 प्रतिशत होगी जो कि प्रत्येक बोली लगाने वाले के द्वारा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक के माध्यम से जमा कराया जाना आवश्यक होगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त राशि स्वीकार नही की जावेगी।
7. सार्वजनिक घोष विक्रय/नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म, नीलामी की सूचना के कॉलम क्रमांक–5 में दर्शित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक, जो शेड्यूल्ड (अनुसूचित) बैंक से आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से दिनांक 17.08.2022 तक जमा कर सार्वजनिक घोष विक्रय/नीलामी में भाग ले सकता है। यदि बोलीकर्ता कोई फर्म है तो उसकी ओर से बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली में शामिल होने फर्म की ओर से सक्षम प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नीलामी हेतु आवेदक के अतिरिक्त केवल एक व्यक्ति ही उपस्थित हो सकता है।
8. निर्धारित तिथि तक धरोहर राशि प्रस्तुत करने पर ही सार्वजनिक घोष विक्रय/नीलामी में भाग लेने का अधिकार होगा। सार्वजनिक घोष विक्रय/नीलामी दिनांक 18.08.2022 को दोपहर 12:00 बजे नगर निगम मुख्यालय रायपुर के तृतीय तल पर स्थित सभाकक्ष क्र. 405 में आयोजित की जावेगी।

9. प्रत्येक भूखंड जो नक्शे मे दर्शित हो, के लिए पृथक आवेदन सह धरोहर राशि (बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक) जमा किया जाना आवश्यक होगा। जिस नाम से धरोहर राशि, जमा किया जावेगा उसी नाम से ही सार्वजनिक घोष विक्रय/नीलामी में भाग लिया जा सकेगा।

10. नीलामी के लिए निर्धारित की गई धरोहर राशि आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम पर देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। बिना धरोहर राशि के घोष विक्रय में भाग नही लिया जा सकेगा।

11. बोली लगाने की प्रक्रिया में प्रत्येक अगली बोली में न्यूनतम वृद्धि 1 लाख से अन्यून होगी।

12. सार्वजनिक घोष विक्रय/नीलामी में प्रस्तुत **उच्चतम दर पर 2.10 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि** फ्री होल्ड में अंतरण हेतु **संपरिवर्तन शुल्क के रूप** में देय होगी। चूंकि भूखण्ड का अंतरण फ्री होल्ड में किया जा रहा है, अतः प्रत्येक भूखण्ड पर संपरिवर्तन शुल्क अनिवार्य होगा।

13. उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म द्वारा यह सूचना प्राप्त होने पर कि उसकी बोली शर्त (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिए गए हैं, बोली की शत् प्रतिशत राशि **90 दिनों के भीतर** जमा करना अनिवार्य होगा, परन्तु इस राशि में प्रतिभूति निक्षेप की राशि समायोजित की जावेगी। यदि विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी राशि जमा नहीं की जाती है तब प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभिगृहित कर ली जाएगी।

14. इस प्रकार जमा की जाने वाली शेष राशि अर्थात स्वीकृत दर में से प्रतिभूति निक्षेप घटाने उपरांत प्राप्त राशि एवं स्वीकृत दर का 2.10 प्रतिशत संपरिवर्तन शुल्क की राशि का भुगतान भी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

15. यथास्थिति, घोष विक्रय के समाप्त होने पर प्रथम 2 उच्चतम बोली लगाने वालों की प्रतिभूति निक्षेप की राशि छोड़कर, शेष सभी की प्रतिभूति निक्षेप की राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जावेगी। वापस की गई प्रतिभूति निक्षेप की राशि पर नगर पालिक निगम, रायपुर के द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

16. जैसे ही घोष विक्रय की पूरी राशि उच्चतम बोली लगाने वाले के द्वारा जमा की जाती है, शेष बचे एक बोली लगाने वाले द्वितीय उच्चतम बोली लगाने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जायेगी। वापस की गई प्रतिभूति निक्षेप की राशि पर नगर पालिक निगम, रायपुर के द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

17. यदि उच्चतम बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकृत की गई हैं, द्वारा बोली की राशि विहित समय के भीतर जमा नहीं की जाती है, तब शर्त (3) मे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वितीय उच्चतम बोली स्वीकृत कर सकेगा तथा यदि ऐसी बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा भी सूचना मिलने पर विहित कालावधि के भीतर बोली की राशि जमा नही की जाती है, तब ऐसे द्वितीय उच्चतम, बोलीकर्ता वाले की प्रतिभूमि निक्षेप की राशि भी अभिगृहित कर ली जाएगी।

18. यदि शर्त (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की यह राय हो कि द्वितीय उच्चतम बोली को स्वीकृत करने के स्थान पर पुनः घोष विक्रय किया जाए, तब यथास्थिति द्वितीय उच्चतम बोली वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जाएगी। पुनः घोष विक्रय की कार्यवाही की जावेगी। वापस की गई प्रतिभूति निक्षेप की राशि पर नगर पालिक निगम, रायपुर के द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

19. बोली स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि में समस्त देय राशि जमा करने के उपरांत हस्तांतरण विलेख निष्पादित कर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम पंजीयन की कार्यवाही की जावेगी। मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क स्वीकृत बोली बोलने वाले के द्वारा वहन किया जावेगा।

20. सार्वजनिक घोष विक्रय/नीलामी उपरांत आवंटिती को नगर निगम कार्यालय में भूमि के पंजीयन की फोटोप्रति प्रस्तुत किये जाने के बाद ही भूमि का आधिपत्य दिया जावेगा।

21. भूमि के आबंटन स्वीकृति की सूचना नीलामीकर्ता को उनके लिखित पते पर डाक से भेजी जाएगी। यदि आबंटिती को समय पर डाक से सूचना प्राप्त नही होती है अथवा पत्र वापस आ जाता है तो नगर निगम को धरोहर राशि जब्त करने और आबंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

22. आबंटिती को भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, स्थानीय संस्थाओं एवं अन्य शासकीय विभागों द्वारा समय–समय पर अधिरोपित करों, लायसेंस, फीस एवं भू–राजस्व आदि का भुगतान स्वयं करना होगा तथा नगरीय निकाय में समय–समय पर प्रचलित संपत्तिकर, समेकित कर एवं अन्य सेवा प्रभारों का भुगतान भी अनिवार्य रूप से करना होगा।

23. आबंटिती को आबंटित भूखंड में राजस्व विभाग, नगर निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश के प्रचलित नियमानुसार डायवर्शन, लेआउट एवं भवन अनुज्ञा भू–राजस्व आदि समस्त औपचारिकतायें स्वयं के स्तर से पूर्ण करनी होगी, जिस पर होने वाला समस्त व्यय आबंटिती को वहन करना होगा।

24. नीलामी एवं हस्तांतरण विलेख के नियम एवं शर्तो से उद्धृत किन्हीं विवादों के संबंध में अथवा उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सोल आर्बिट्रेटर होंगे। जिनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायपुर छ.ग